

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2016/वैशाख 19, 1938

No. 189]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/VAISAKHA 19, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 7 अप्रैल, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ, और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/7/119/2016 – बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64वीं और 64वीं तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (वाई), (जेड), (जेडए) और (जेडएवी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ, और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे।

(2) ये विनियम 1 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "आबंटित हानि समायोजन व्यय" (एएलई) से दावा-संबंधी व्यय अभिप्रेत हैं जो सीधे किसी विशिष्ट दावे के कारण हैं;

(ग) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

- (घ) "दावा आरक्षित निधियाँ" से उन दावों से संबंधित आरक्षित निधियाँ अभिप्रेत हैं जो पहले ही घटित हो चुके हैं तथा बकाया दावा आरक्षित निधियों और उपगत परंतु सूचित नहीं की गई दावा आरक्षित निधियों के कुल योग के रूप में निर्धारित हैं;
- (ङ) "साधारण बीमा व्यवसाय" में साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय, तथा स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय शामिल है;
- (च) "साधारण बीमाकर्ता" से स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सहित साधारण बीमा व्यवसाय करने वाले सभी बीमाकर्ता तथा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले स्टैंडअलोन बीमाकर्ता अभिप्रेत हैं;
- (छ) "उपगत परंतु पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई आरक्षित निधियाँ" (आईबीएनआईआर) से लेखांकन की तारीख की स्थिति के अनुसार सूचित किये गये दावों के अनुमानों में प्रत्याशित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने वाली आरक्षित निधियाँ अभिप्रेत हैं;
- (ज) "उपगत परंतु सूचित नहीं की गई दावा आरक्षित निधियाँ" (आईबीएनआईआर) में लेखांकन की तारीख की स्थिति के अनुसार आईबीएनआईआर, पुनः प्रारंभ किये गये दावों के लिए अनुमान, उपगत परंतु सूचित नहीं किये गये दावों के लिए प्रावधान, मार्गस्थ दावों के लिए प्रावधान और एएलएई शामिल हैं;
- (झ) "बकाया दावा आरक्षित निधियाँ (ओएस रिज़र्व्स)" से लेखांकन की तारीख की स्थिति के अनुसार सभी बकाया सूचित किये गये दावों के संबंध में किया गया प्रावधान अभिप्रेत है। ओएस रिज़र्व्स में एएलएई शामिल हैं;
- (ञ) "प्रीमियम कमी आरक्षित निधि (पीडीआर)" से अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि के अतिरिक्त धारित आरक्षित निधि अभिप्रेत है, जो ऐसी किसी संभावना के लिए गुंजाइश रखती है कि समाप्त न हुए जोखिम की अवधि के दौरान दावों की लागत और संबंधित व्ययों को समाहित करने के लिए अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि अपर्याप्त होगी;
- (ट) "अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर)" से लिखित प्रीमियम के उस भाग को निरूपित करने वाली राशि अभिप्रेत है जो कारणभूत है तथा जिसे परवर्ती लेखांकन अवधियों के लिए आबंटित की जानी है;
- (ठ) "असमाप्त जोखिम आरक्षित निधियाँ" से असमाप्त जोखिमों के लिए देयताओं के संबंध में आरक्षित निधियाँ अभिप्रेत हैं तथा जो अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि और प्रीमियम कमी आरक्षित निधि के कुल योग के रूप में निर्धारित हैं।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उन अधिनियमों के अधीन बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम साधारण बीमा व्यवसाय करने वाले सभी साधारण बीमाकर्ताओं पर लागू होंगे।

4. ऋण शोधन क्षमता मार्जिन के परिकलन के प्रयोजन के लिए आस्तियों की स्वीकार्यता

प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता अनुसूची I के अनुसार फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में स्वीकार्य आस्तियों का विवरण तैयार करेगा।

5. देयताओं की राशि का निर्धारण

प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता अनुसूची II के अनुसार फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर में देयताओं की राशि का विवरण तैयार करेगा।

6. ऋण शोधन क्षमता मार्जिन का निर्धारण

प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता अनुसूची III के अनुसार फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम में ऋण शोधन क्षमता मार्जिन का विवरण तैयार करेगा।

7. भारत के बाहर व्यवसाय:

- (1) जहाँ बीमाकर्ता भारत के बाहर किसी देश में साधारण बीमा व्यवसाय करता है, तथा उस देश के मेजबान विनियामक को विवरण अथवा विवरणियाँ अथवा इस प्रकार का कोई व्योरा प्रस्तुत करता है, वहाँ बीमाकर्ता इन विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट फार्मों के साथ तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में इनकी एक प्रति संलग्न करेगा।

बशर्ते कि यदि नियुक्त बीमांकक की राय है कि भारत के बाहर जहाँ बीमाकर्ता व्यवसाय करता है, देयता और ऋण शोधन क्षमता मानदंड भारत में विद्यमान देयता और ऋण शोधन क्षमता मानदंडों की तुलना में निम्नतर देयता और/या ऋण शोधन क्षमता आवश्यकता में परिणत होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बीमाकर्ता से यह अपेक्षा करेगा कि वह भारत के बाहर किसी देश के मेजबान विनियामक को प्रस्तुत विवरणों अथवा विवरणियों अथवा किसी ऐसे व्योरे में दर्शाई गई आरक्षित निधियों से अधिक अतिरिक्त आरक्षित निधियों को अलग रखे ताकि भारत में विद्यमान देयता और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन मानदंडों का पालन किया जा सके।

8. फार्म प्रस्तुत करना:

(1) फार्म अर्थात् फार्म आईआरडीआई-जीआई-टीए, फार्म आईआरडीआई-जीआई-टीआर और फार्म आईआरडीआई-जीआई-एसएम साधारण बीमाकर्ता द्वारा भारत के अंदर किये गये साधारण बीमा व्यवसाय और कुल व्यवसाय के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किये जाएंगे।

(2) ये फार्म प्राधिकरण को उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति से तीन महीने पहले अथवा बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन पहले, जो भी पहले हो, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली किन्हीं अन्य रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत किये जाएंगे।

9. नियुक्त बीमांकक की प्राधिकरण में निजी मुलाकात:

प्राधिकरण, यदि आवश्यक और उचित समझा जाए, तो नियुक्त बीमांकक से कह सकता है कि वह प्राधिकरण के कार्यालय में निजी तौर पर आकर मुलाकात करे, जिससे ऐसे व्यक्ति से कोई भी और जानकारी प्राप्त की जा सके।

10. निरसन और बचत

(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख को और उस तारीख से, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 अधिक्रमित होंगे।

(2) तथापि, इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले की गई अथवा किये जाने के लिए छोड़ी गई किसी बात के संबंध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 द्वारा उनका नियंत्रित होना जारी रहेगा।

11. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अनुसूची I

(विनियम 4 देखें)

1. आस्तियों का मूल्यांकन

(1) निम्नलिखित आस्तियाँ शून्य मूल्य के साथ रखी जाएंगी:

- (क) भारत में एजेंटों और मध्यस्थों की शेष राशियाँ और बकाया प्रीमियम, जहाँ तक उनकी वसूली तीस दिन की अवधि के अंदर नहीं की गई हो;
- (ख) राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में प्राप्य प्रीमियम, जहाँ तक उनकी वसूली 180 दिन के अंदर नहीं की गई हो;
- (ग) भारत के बाहर एजेंटों और मध्यस्थों की शेष राशियाँ और बकाया प्रीमियम, जहाँ तक वे वसूलीयोग्य नहीं हैं;
- (घ) विविध ऋण, जहाँ तक वे वसूलीयोग्य नहीं हैं;
- (ङ) अग्रिम और प्राप्य राशियाँ जो अप्राप्य स्वरूप की हैं;
- (च) उपस्कर (फ़र्नीचर), जुड़नार (फ़िक्चर्स), जड़वस्तु स्टॉक और लेखन-सामग्री;
- (छ) आस्थगित व्यय;
- (ज) लाभ-हानि विनियोग खाता शेष का नामे शेष तथा पूर्वदत्त व्ययों को छोड़कर अन्य कोई काल्पनिक आस्तियाँ;

- (झ) नब्बे दिन से अधिक बकाया सह-बीमाकर्ता की शेष राशियाँ;
- (ज) भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और भारत में शाखाएँ रखने वाले विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शेष राशियाँ जो 365 दिन से अधिक बकाया हैं;
- (ट) अन्य पुनर्बीमाकर्ता की 180 दिन से अधिक बकाया शेष राशियाँ;
- (ठ) पट्टाधृत सुधार;
- (ड) नब्बे दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया सेवा कर संबंधी अप्रयुक्त जमा;
- (ढ) कोई अन्य आस्तियाँ, जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वी के अधीन अस्वीकार्य मानी गई हों।
- (2) साधारण बीमाकर्ता की सभी अन्य आस्तियों का मूल्यांकन इन विनियमों तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट, अन्य प्रकार की पूँजी और निवेश के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये अन्य अनुदेशों एवं समय-समय पर यथाप्रयोज्य किन्हीं अन्य विनियमों के अनुसार करना होगा।

2. स्वीकार्य आस्तियों का विवरण

प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में स्वीकार्य आस्तियों का विवरण तैयार करेगा।

फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए

स्वीकार्य आस्तियों का विवरण: <<साधारण बीमाकर्ता का नाम>>

31 मार्च 20XX की स्थिति के अनुसार

बीमाकर्ता का नाम:
पंजीकरण संख्या:
पंजीकरण की तारीख:
वर्गीकरण: भारत के अंदर व्यवसाय / कुल व्यवसाय

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

ब्योरा	पॉलिसीधारकों का खाता	शेयरधारकों का खाता	कुल
निवेश			
निवेश शेयरधारक अनु. 8			
पॉलिसीधारक अनु. 8ए			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल निवेश ----- (ए)			
अनुसूची I के खंड (1) के अनुसार अस्वीकार्य निवेश आस्तियाँ ----- (बी)			
तुलन-पत्र के अनुसार अचल आस्तियाँ ----- (सी)			
अनुसूची-I के खंड (1) के अनुसार अस्वीकार्य अचल आस्तियाँ ----- (डी)			
चालू आस्तियाँ			
तुलन-पत्र के अनुसार नकदी और बैंक शेष----- (ई)			
तुलन-पत्र के अनुसार अग्रिम और अन्य आस्तियाँ ----- (एफ)			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल चालू आस्तियाँ ----- (जी) = (ई) + (एफ)			
अनुसूची-I के खंड (1) के अनुसार अस्वीकार्य चालू आस्तियाँ ----- (एच)			

ऋण			
तुलन-पत्र के अनुसार ऋण ----- (आई)			
न्यूनतम शून्य के अधीन उचित मूल्य परिवर्तन खाता ----- (जे)			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल आस्तियाँ ----- (के) = (ए) + (सी) + (जी) + (आई) (चालू देयताओं और प्रावधानों को छोड़कर)			
चालू अस्वीकार्य आस्तियाँ ----- (एल) = (बी) + (डी) + (एच) + (जे)			
ऋण शोधन क्षमता के लिए कुल स्वीकार्य आस्तियाँ ----- (के)-(एल) (चालू देयताओं और प्रावधानों को छोड़कर)			

हम प्रमाणित करते हैं कि विवरण अनुसूची I के अनुसार तैयार किया गया है।

नियुक्त बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

टिप्पणियाँ

इस विवरण में अनुसूची I में खंड (1) के अनुसार आस्तियों की उपर्युक्त श्रेणियों का मूल्य दर्शाया जायेगा।

अनुसूची II (विनियम 5 देखें)

देयताओं की राशि का निर्धारण

1. देयताओं की राशि का निर्धारण

- (1) देयताओं की राशि का निर्धारण मूल्यांकन दिनांक को फार्म आईआरडीआई-जीआई-एसएम में सूचीबद्ध रूप में और इस विनियम के अनुसार व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए अलग से किया जाएगा।
- (2) व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए देयताओं की राशि का निर्धारण नीचे खंड 2 में बताये गये अनुसार असमाप्त जोखिम आरक्षित निधियों और नीचे खंड 3 में बताये गये अनुसार दावा आरक्षित निधियों के कुल योग के रूप में किया जाएगा।

2. प्रीमियम आरक्षित निधियाँ

(1) अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर):

यूपीआर का अनुमान वर्तमान प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा तथा इसे मुख्य वित्तीय अधिकारी और सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(2) प्रीमियम कमी आरक्षित निधि (पीडीआर):

पीडीआर का परिकलन सुदृढ़ बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए किया जाएगा। यद्यपि पीडीआर का अनुरक्षण बीमाकर्ता के स्तर पर किया जाएगा, तथापि उत्पादों की धारणीयता का सत्यापन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा खंडीय आधार पर पीडीआर की निगरानी की जाएगी तथा तदनुसार प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है।

(3) असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि (यूआरआर):

असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि यूपीआर और पीडीआर के कुल योग के रूप में परिभाषित है।

3. दावा आरक्षित निधि

- (1) दावा आरक्षित निधि का निर्धारण निम्नलिखित व्यवसाय की श्रेणियों के लिए नीचे वर्णित रूप में बकाया दावा आरक्षित निधि तथा उपगत परंतु सूचित नहीं की गई दावा आरक्षित निधि (आईवीएनआर) की कुल राशि के रूप में किया जाएगा।

मद**सं. व्यवसाय की श्रेणी****मोटर**

- 1 मोटर ओडी – निजी कार
- 2 मोटर ओडी – दुपहिया
- 3 मोटर ओडी – वाणिज्यिक वाहन
- 4 मोटर टीपी – निजी कार
- 5 मोटर टीपी – दुपहिया
- 6 मोटर टीपी – वाणिज्यिक वाहन (अस्वीकृत समूह)(डिक्लाइन्ड पूल)
- 7 मोटर टीपी – वाणिज्यिक वाहन (टीपी समूह)
- 8 मोटर टीपी – वाणिज्यिक वाहन (समूह के अतिरिक्त)

स्वास्थ्य

- 9 स्वास्थ्य बीमा – वैयक्तिक
- 10 स्वास्थ्य बीमा – सामूहिक – सरकारी योजनाएँ
- 11 स्वास्थ्य बीमा – सामूहिक – नियोक्ता/ कर्मचारी योजनाएँ
- 12 स्वास्थ्य बीमा – सामूहिक – अन्य योजनाएँ

वैयक्तिक दुर्घटना

- 13 वैयक्तिक दुर्घटना – व्यक्तिगत
- 14 वैयक्तिक दुर्घटना – सामूहिक (सरकारी योजनाएँ)
- 15 वैयक्तिक दुर्घटना – सामूहिक (अन्य)

यात्रा**अग्नि****मरीन**

- 18 मरीन कार्गो
- 19 मरीन – मरीन कार्गो के अतिरिक्त

अन्य विविध

- 20 इंजीनियरिंग
- 21 विमानन
- 22 उत्पाद देयता
- 23 देयता बीमा
- 24 कामगार प्रतिकर बीमा / नियोक्ता की देयता
- 25 फसल बीमा
- 26 मौसम बीमा
- 27 ऋण बीमा
- 28 अन्य

(2) बकाया दावा आरक्षित निधि

बकाया दावा आरक्षित निधि का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

- (क) जहाँ बीमाकर्ताओं के बकाया दावों की राशि ज्ञात हो, वहाँ राशि का पूर्णतः प्रावधान किया जाना चाहिए;
- (ख) जहाँ बीमाकर्ता के अनुसार बकाया दावों की राशि का अनुमान विवेकपूर्ण ढंग से किया जा सकता है, वहाँ बीमाकर्ता निपटान के स्वरूप अथवा औसत दावा राशियों, व्ययों और मुद्रास्फीति में परिवर्तनों के लिए सुस्पष्ट गुंजाइश को हिसाब में लेने के बाद 'मामला दर मामला पद्धति' का अनुसरण करेगा।
- (ग) व्यवसाय की उन श्रेणियों के लिए, जहाँ नियुक्त बीमांकक की राय में बकाया दावों के अनुमान के लिए सांख्यिकीय पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है, वहाँ नियुक्त बीमांकक मामला दर मामला पद्धति के बदले दावों की आरक्षित निधि के लिए उपयुक्त सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मामलों में दावा बकाया आरक्षित निधि को नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। जहाँ नियुक्त बीमांकक दावों पर कार्रवाई करने की प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान करता है, वहाँ बकाया दावा आरक्षित निधि के स्वरूप पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा और उसकी सूचना दी जाएगी।

(3) उपगत परंतु सूचित नहीं की गई (आईबीएनआर) आरक्षित निधि

- (क) उपगत परंतु सूचित नहीं की गई (आईबीएनआर) दावा आरक्षित निधि का निर्धारण बीमांकिक सिद्धांतों और नीचे खंड 4 में विस्तृत रूप में दी गई पद्धतियों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।
- (ख) आईबीएनआर का अनुमान उपयुक्त बीमांकिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा तथा इसे नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- (ग) नियुक्त बीमांकक आईबीएनआर का अनुमान दोनों पुनर्बीमा को घटाने एवं पुनर्बीमा को जोड़ने के आधार पर करेगा।
- (घ) नियुक्त बीमांकक आईबीएनआर के लिए प्रावधान का अनुमान घटित होने के प्रत्येक वर्ष के लिए करेगा तथा प्रावधान की जाने वाली कुल राशि प्राप्त करने के लिए आंकड़ों को संकलित किया जाएगा।
- (ङ) यदि घटित होने के किसी भी वर्ष के लिए आईबीएनआर प्रावधान का अनुमान ऋणात्मक है, तो नियुक्त बीमांकक अंतर्निहित धारणाओं का पुनः परीक्षण करेगा। पुनः परीक्षण करने के बाद भी यदि गणित ऋणात्मक मूल्य उत्पन्न करता है तो नियुक्त बीमांकक घटना के उस वर्ष के लिए आईबीएनआर प्रावधान की उपेक्षा करेगा/करेगी।
- (च) अनुमान की प्रक्रिया भुगतान किये गये दावों के अनुमानित भावी विकास को आज की तारीख तक नहीं घटाएगी।

4. बीमांकिक पद्धतियाँ

- (1) आईबीएनआर आरक्षित निधियों के अनुमान के लिए निम्नलिखित मानक बीमांकिक पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है:
 - (क) आधारभूत शृंखला सीढ़ी (चेन-लैडर) पद्धति (दोनों उपगत और प्रदत्त दावों के संबंध में)
 - (ख) बॉर्नह्यूटर फेर्गुसन पद्धति (दोनों उपगत और प्रदत्त दावों के संबंध में)
 - (ग) बारंबारता – गंभीरता पद्धति
- (2) नियुक्त बीमांकक भावी देयताओं को पूरा करने के लिए जिस अनुमान को पर्याप्त समझता/ समझती है, उसे प्राप्त करने के लिए एक से अधिक पद्धतियों का उपयोग करेगा/ करेगी।
- (3) नियुक्त बीमांकक आईबीएनआर अनुमान की मानक बीमांकिक पद्धतियों के अलावा अन्य पद्धतियों का उपयोग कर सकता है/ सकती है।
- (4) नियुक्त बीमांकक के लिए विनियामक को अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति में अन्य उपलब्ध पद्धतियों की तुलना में एक विशिष्ट पद्धति के चयन में अंतर्निहित तर्काधार का स्पष्टीकरण इस प्रकार करने में होने वाले लाभों और हानियों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (5) जहाँ विभिन्न पद्धतियों अथवा धारणाओं के परिणामों में उल्लेखनीय रूप से अंतर हो, वहाँ नियुक्त बीमांकक को अवश्य उक्त अंतरों के लिए कारणों पर टिप्पणी देनी होगी तथा परिणामों के चयन के लिए आधार को स्पष्ट करना होगा।

5. पुनर्बीमा के लिए प्रयोज्यता

- (1) यह अनुसूची पुनर्बीमाकर्ताओं की खाता-बहियों में साधारण बीमा व्यवसाय के मूल्यांकन पर भी लागू होगी।

- (2) जहाँ तक बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यापित व्यवसाय का संबंध है, यह अनुसूची बीमाकर्ता द्वारा प्रतिधारित जोखिम पर निवल राशियों पर लागू होगी।

6. अन्य देयताओं का निर्धारण

साधारण बीमाकर्ता निम्नलिखित मदों के संबंध में उपयुक्त मूल्य रखेगा:

- (1) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों; घोषित अथवा संस्तुत लाभांशों के लिए आरक्षित निधि, तथा बकाया लाभांशों के लिए प्रावधान पूर्णतः;
- (2) बीमा व्यवसाय करने वाली बीमा कंपनियों को देय राशि, पूर्णतः;
- (3) विविध लेनदारों को देय राशि, पूर्णतः;
- (4) कराधान के लिए प्रावधान, पूर्णतः;
- (5) विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

7. देयताओं का विवरण

- (1) प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 64वी के अनुसार फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर में देयताओं का विवरण तैयार करेगा जो नियुक्त बीमांकक और सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित हो।
- (2) उक्त विवरण अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित विवरणियों के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) साधारण बीमाकर्ता समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार कोई भी अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करेगा।

फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(साधारण बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन)
विनियम, 2016

सारणी I

देयताओं का विवरण: <<साधारण बीमाकर्ता का नाम>>

31 मार्च 20XX की स्थिति के अनुसार

बीमाकर्ता का नाम:
पंजीकरण संख्या:
पंजीकरण की तारीख:
वर्गीकरण: भारत के अंदर व्यवसाय/ कुल व्यवसाय

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

आरक्षित निधि (रिज़र्व)	सकल आरक्षित निधि	निवल आरक्षित निधि
अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर) (ए)		
प्रीमियम कमी आरक्षित निधि (पीडीआर) (बी)		
असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि (सी)=(ए)+(बी)		
बकाया दावा आरक्षित निधि (आईबीएनआर आरक्षित निधि को छोड़कर अन्य) ----- (डी)		
आईबीएनआर आरक्षित निधि (ई)		
तकनीकी देयताओं के लिए कुल आरक्षित निधियाँ (एफ)=(सी)+(डी)+(ई)		

प्रमाणीकरण**(1) सांविधिक लेखा-परीक्षक से प्रमाणीकरण:**

मैं प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण बीमाकर्ता की देयताओं का निरूपण करता है जिनका निर्धारण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 में निर्धारित तरीके से किया गया है तथा ऐसी देयताओं की राशियाँ उचित और युक्तिसंगत हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी प्रमाणित करता/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण में सांविधिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए अनुमानित बकाया दावा आरक्षित निधियों, पीडीआर और आईबीएनआर आरक्षित निधियों का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा किया गया है तथा उनका प्रमाणपत्र इसके नीचे प्रस्तुत है।

अर्हताएँ (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों (देयताओं के निर्धारण के संबंध में)

स्थान:

दिनांक:

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

(2) नियुक्त बीमांकक से प्रमाणीकरण:

मैं प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार डेटा की जाँच की है तथा मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त डेटा सुसंगत, विश्वसनीय और संपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मैं आगे यह भी प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण में दर्शाई गई बकाया आरक्षित निधियाँ जिनका अनुमान सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग करके किया गया है, पीडीआर और आईबीएनआर आरक्षित निधियाँ बीमांकक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 में निर्धारित तरीके से निश्चित की गई हैं। ये आरक्षित निधियाँ, जो (जाँच-पड़ताल का वर्ष) के मार्च के 31वें दिन की स्थिति के अनुसार अनुमानित हैं, मेरी राय में प्रत्याशित भावी अनुभव का निरूपण करती हैं।

अर्हताएँ (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों :

बीमाकर्ता का नाम:

स्थान:

दिनांक:

नियुक्त बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर

(3) प्रधान अधिकारी से प्रमाणीकरण:

मैं प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि

- (क) 20XX के मार्च के 31वें दिन की स्थिति के अनुसार तकनीकी आरक्षित निधियों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नियुक्त बीमांकक <बीमांकक का नाम> को प्रत्येक पॉलिसी और दावे का संपूर्ण और सही व्योरा प्रस्तुत किया गया है।
- (ख) नियुक्त बीमांकक को उपलब्ध कराया गया डेटा मार्च 20XX के 31वें दिन की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षित वित्तीय आंकड़ों के साथ सुसंगत है।
- (ग) बीमाकर्ता द्वारा अनुसरण किये जाने वाले जोखिम-अंकन, दावों और पुनर्बीमा पॉलिसियों तथा प्रथाओं से संबंधित समस्त सूचना से नियुक्त बीमांकक को अवगत कराया गया है।

अर्हताएँ (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों :

बीमाकर्ता का नाम:

स्थान:

दिनांक:

प्रधान अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

(4) मुख्य वित्तीय अधिकारी से प्रमाणीकरण:

मैं प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि

यूपीआर का निर्धारण प्राधिकरण के वर्तमान उपबंधों के अनुसार किया गया है।

अर्हताएँ (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों (यूपीआर के निर्धारण के संबंध में):

बीमाकर्ता का नाम:

स्थान:

दिनांक:

मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

अनुसूची III**ऋण शोधन क्षमता मार्जिन का निर्धारण – साधारण बीमा व्यवसाय****(विनियम 6 देखें)**

1. व्याख्या: इस अनुसूची में,
 - (1) 'उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता मार्जिन (एएसएम)' का परिकलन देयताओं के मूल्य (जैसा कि फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर में प्रस्तुत किया गया हो) की तुलना में आस्तियों के मूल्य (जैसा कि फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में प्रस्तुत किया गया हो) के आधिक्य के रूप में फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम की सारणी Iबी में दर्शाये गये अनुसार अतिरिक्त समायोजनों के साथ किया जाएगा।
 - (2) "ऋण शोधन क्षमता अनुपात" से सारणी Iबी में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन की राशि की तुलना में उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता मार्जिन की राशि का अनुपात अभिप्रेत है।
2. प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता हर समय उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता मार्जिन एक ऐसे स्तर पर बनाये रखेगा जो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत बताये गये रूप में न्यूनतम पूँजी की राशि के पचास प्रतिशत एवं अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन के एक सौ प्रतिशत में से जो भी उच्चतर होगा उससे कम नहीं होगा तथा ऐसा न करने पर प्राधिकरण अधिनियम की धारा 64वीए की उप-धारा (2) के अनुसार कार्रवाई करेगा।
3. "ऋण शोधन क्षमता का नियंत्रण स्तर" से अधिनियम की धारा 64वीए की उप-धारा (3) के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ऋण शोधन क्षमता मार्जिन का स्तर अभिप्रेत होगा जिसका उल्लंघन करने पर प्राधिकरण उपयुक्त समझे जाने वाले किन्हीं अन्य उपचारात्मक उपाय करने पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना अधिनियम की धारा 64वीए की उप-धारा (4) के अनुसार कार्रवाई करेगा। ऋण शोधन क्षमता का नियंत्रण स्तर इसके द्वारा 150% के न्यूनतम ऋण शोधन क्षमता अनुपात के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है।
4. अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन (आरएसएम) का निर्धारण: प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम में अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन, उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता मार्जिन और ऋण शोधन क्षमता अनुपात निर्धारित करेगा।

फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016

सारणी I

ऋण शोधन क्षमता मार्जिन का विवरण : <<साधारण बीमाकर्ता का नाम>>

31 मार्च 20XX की स्थिति के अनुसार

बीमाकर्ता का नाम:
 पंजीकरण संख्या:
 पंजीकरण का दिनांक:
 वर्गीकरण: भारत में व्यवसाय / कुल व्यवसाय

सारणी Iए: निवल प्रीमियम और निवल उपगत दावों के आधार पर
अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

मद सं.	व्यवसाय की श्रेणी	सकल प्रीमियम	निवल प्रीमियम	सकल उपगत दावे	निवल उपगत दावे	आरएसएम 1	आरएसएम 2	आरएसएम म	कारक ए	कारक बी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	अग्नि								0.5	0.5
02	मरीन कार्गो								0.6	0.6
03	मरीन -मरीन कार्गो के अतिरिक्त								0.5	0.5
04	मोटर								0.75	0.75
05	इंजीनियरिंग								0.5	0.5
06	विमानन								0.5	0.5
07	देयता								0.75	0.75
08	स्वास्थ्य								0.75	0.75
09	विविध								0.7	0.7
	कुल									

टिप्पणियाँ :

(3)=सकल लिखित प्रीमियम आवक पुनर्बीमा सहित

(4)=निवल लिखित प्रीमियम

(5)=सकल उपगत दावे सकल आईबीएनआर के प्रभाव सहित

(6)=निवल उपगत दावे निवल आईबीएनआर के प्रभाव सहित

(3) और (4) का परिकलन 'पिछले 12 महीने का डेटा' के रूप में किया गया

(5) और (6) का परिकलन 'पिछले 12 महीने का डेटा' और 'पिछले 36 महीने के डेटा को 3 से विभाजित' के अधिकतम के रूप में किया गया

(7) उपर्युक्त सारणी में आरएसएम 1 से निवल प्रीमियमों के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन अभिप्रेत है तथा इसका निर्धारण उस राशि के **बीस प्रतिशत (20%)** के रूप में किया जाएगा जो सारणी 1(ए) में विनिर्दिष्ट रूप में कारक ए द्वारा गुणा किये गये सकल प्रीमियमों तथा निवल प्रीमियमों में से जो भी उच्चतर हो।

(8) उपर्युक्त सारणी में आरएसएम 2 से निवल उपगत दावों के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन अभिप्रेत है तथा इसका निर्धारण उस राशि के **तीस प्रतिशत (30%)** के रूप में किया जाएगा जो उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में कारक बी द्वारा गुणा किये गये सकल उपगत दावों तथा निवल उपगत दावों में से जो भी उच्चतर हों।

(9) आरएसएम से अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन अभिप्रेत है तथा यह प्रत्येक एलओबी के लिए अलग-अलग वह राशि होगी जो आरएसएम 1 और आरएसएम 2 की राशियों में से उच्चतर हो।

सारणी Iबी: उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता मार्जिन और ऋण शोधन क्षमता अनुपात

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

पंजीकरण की तारीख:

वर्गीकरण: भारत के अंदर व्यवसाय / कुल व्यवसाय

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

(1)	(2)	(3)
मद सं.	विवरण	राशि
(क)	पॉलिसीधारकों की निधियाँ	
	उपलब्ध आस्तियाँ (फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए के अनुसार)	
	घटाएँ :	
(ख)	तुलन-पत्र के अनुसार चालू देयताएँ	
(ग)	तुलन-पत्र के अनुसार प्रावधान	
(घ)	अन्य देयताएँ	
(ङ)	पॉलिसीधारकों की निधियों में आधिक्य (क)-(ख)-(ग)-(घ)	
	शेयरधारकों की निधियाँ	
(च)	उपलब्ध आस्तियाँ	
	घटाएँ :	
(छ)	अन्य देयताएँ	
(ज)	शेयरधारकों की निधियों में आधिक्य (च-छ)	
(झ)	कुल एसएसएम (ङ+ज)	
(ञ)	कुल आरएसएम	
(ट)	ऋण शोधन क्षमता मार्जिन (कुल एसएसएम / कुल आरएसएम)	

प्रमाणीकरण:

मैं _____, सांविधिक लेखा-परीक्षक, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार तैयार किये गये हैं, तथा उनमें उल्लिखित राशियाँ मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं।

स्थान:

दिनांक:

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

निम्नलिखित द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रधान अधिकारी

नियुक्त बीमांकक

मुख्य वित्तीय अधिकारी

टिप्पणियाँ :

1. मद क फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में उल्लिखित रूप में पॉलिसीधारकों की निधियों के संबंध में आस्तियों के समायोजित मूल्य की राशि होगी।
2. मद ख फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर में उल्लिखित रूप में कुल देयताओं की राशि होगी।
3. मद ग पॉलिसीधारकों की निधियों के संबंध में उत्पन्न होने वाली अन्य देयताओं की राशि होगी तथा तुलन-पत्र में उल्लिखित रूप में होगी।

4. मद च फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में उल्लिखित रूप में शेयरधारकों की निधियों के संबंध में कुल आस्तियों की राशि होगी।
5. मद छ शेयरधारकों की निधियों के संबंध में उत्पन्न होने वाली अन्य देयताओं की राशि होगी तथा तुलन-पत्र में उल्लिखित रूप में होगी।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष
[विज्ञापन.III/4/असा./69(161)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 7th April, 2016

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016

F. No. IRDAI/Reg/7/119/2016- In exercise of the powers conferred by clauses (y), (z), (za) and (zab) of sub-section (2) of section 114A read with Sections 64V and 64VA of the Insurance Act, 1938, (4 of 1938) and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General Insurance business) Regulations, 2016.
- (2) These Regulations shall come into effect from 1st April, 2016.

2. DEFINITIONS

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires

- (a) “Act” means the Insurance Act 1938 (4 of 1938) ;
- (b) “Allocated Loss Adjustment Expenses (ALAE)” are claim-related expenses that are directly attributable to a specific claim;
- (c) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (d) “Claim Reserves” means the reserves in respect of the claims which have already occurred and determined as the aggregate of outstanding claim reserves and incurred but not reported claim reserves.
- (e) “General Insurance Business” includes health insurance business and general insurance business transacted by general insurers and health insurance business transacted by standalone health insurers.
- (f) “General insurers” means all the insurers transacting general insurance business including health insurance business and stand-alone health insurers transacting health insurance business.
- (g) “Incurred But Not Enough Reported Reserves (IBNER)” means the reserves reflecting the expected changes in the estimates of reported claims as on the accounting date;
- (h) “Incurred But Not Reported Claim Reserves (IBNR)” includes IBNER, estimate for reopened claims, provision for incurred but not reported claims, provision for claims in transit as on the accounting date and ALAE;
- (i) “Outstanding Claim Reserves (OS Reserves)” means the provision made in respect of all outstanding reported claims as on the accounting date. OS Reserves include ALAE;
- (j) “Premium Deficiency Reserve (PDR)” means the reserve held in excess of the unearned premium reserve, which allows for any expectation that the unearned premium reserve will be insufficient to cover the cost of claims and related expenses incurred during the period of unexpired risk;

- (k) “Unearned Premium Reserve (UPR)” means an amount representing that part of the premium written which is attributable and to be allocated to the succeeding accounting periods;
 - (l) “Unexpired Risk Reserves” means the reserves in respect of the liabilities for unexpired risks and determined as the aggregate of Unearned Premium Reserve and Premium Deficiency Reserve.
- (2) All words and expressions used herein and not defined but defined in the Insurance Act 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), or in any Rules or Regulations made there under, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

3. **APPLICABILITY**

These regulations shall be applicable to all the general insurers transacting general insurance business.

4. **ADMISSIBILITY OF ASSETS FOR THE PURPOSE OF CALCULATION OF SOLVENCY MARGIN**

Every general insurer shall prepare a statement of admissible assets in FORM IRDAI-GI-TA in accordance with **Schedule I**.

5. **DETERMINATION OF AMOUNT OF LIABILITIES**

Every general insurer shall prepare a statement of the amount of liabilities in FORM IRDAI-GI-TR in accordance with **Schedule II**.

6. **DETERMINATION OF SOLVENCY MARGIN**

Every General insurer shall prepare a statement of solvency margin in FORM IRDAI-GI-SM in accordance with **Schedule III**.

7. **BUSINESS OUTSIDE INDIA:**

- (1) Where the general insurer transacts general insurance business in a country outside India, and submits statements or returns or any such particulars to the host regulator of that country, the insurer shall enclose a copy of the same along with the Forms specified in accordance with these Regulations and as stipulated by the Authority from time to time.

Provided that if Appointed Actuary is of the opinion that the liability and solvency norms outside India, where the insurer transacts business, results in lower liability and/or solvency requirement as compared to the liability and solvency norms existing in India, then such person shall require the insurer to set aside additional reserves over and above the reserves shown in the statements or returns or any such particulars submitted to the host regulator of a country outside India so as to comply with the liability and solvency norms existing in India.

8. **FURNISHING OF FORMS:**

- (1) The Forms, namely, FORM IRDAI-GI-TA, FORM IRDAI-GI-TR and FORM IRDAI-GI-SM shall be furnished separately for General insurance Business within India and Total Business transacted by the general insurer.
- (2) These Forms shall be furnished to the Authority, within three months from the end of the period to which they refer to or within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board of the insurer, whichever is earlier, along with any other reports as may be stipulated by the Authority from time to time.

9. **PERSONAL VISIT OF APPOINTED ACTUARY TO THE AUTHORITY:**

The Authority may, if considered necessary and expedient, ask the Appointed Actuary to make a personal visit to the office of the Authority to elicit from such person any further information.

10. **REPEAL AND SAVINGS**

- (1) On and from the commencement of these regulations, the Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margins of Insurers) Regulations, 2000 shall stand superseded.
- (2) However, in respect of anything done or omitted to be done prior to the commencement of these regulations, they shall continue to be governed by Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margins of Insurers) Regulations, 2000.

11. **POWER OF THE AUTHORITY TO ISSUE CLARIFICATIONS ETC.**

In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

SCHEDULE I
(See Regulation 4)

1. VALUATION OF ASSETS

(1) The following assets should be placed with value zero:

- (a) Agents' and Intermediaries' balances and outstanding premiums in India, to the extent they are not realized within a period of thirty days;
- (b) Premiums receivables relating to State/Central government sponsored schemes, to the extent they are not realized within a period of 180 days;
- (c) Agents' and Intermediaries' balances and outstanding premiums outside India, to the extent they are not realizable ;
- (d) Sundry debts, to the extent they are not realizable;
- (e) Advances and receivables of an unrealizable character;
- (f) Furniture, fixtures, dead stock and stationery;
- (g) Deferred expenses;
- (h) Debit balance of Profit and loss appropriation account balance and any fictitious assets other than pre-paid expenses;
- (i) Co-insurer's balances outstanding for more than ninety days;
- (j) Balances of Indian Reinsurers and Foreign Reinsurers having Branches in India outstanding for more than 365 days;
- (k) Other Reinsurer's balances outstanding for more than 180 days;
- (l) Leasehold improvements
- (m) Service Tax Unutilized Credit outstanding for more than ninety days;
- (n) Any other assets, which are considered inadmissible under Section 64V of the Insurance Act, 1938.

(2) All other assets of a general insurer have to be valued in accordance with the Regulations and other instructions issued by the Authority regarding preparation of financial statements, auditor's report, other forms of capital and investments, and any other Regulations as applicable from time to time.

2. STATEMENT OF ADMISSIBLE ASSETS

Every general insurer shall prepare a statement of admissible assets in form IRDAI-GI-TA

FORM IRDAI-GI-TA
STATEMENT OF ADMISSIBLE ASSETS: << Name of General Insurer>>
As at 31st March 20XX

Name of Insurer:
Registration Number:
Date of registration:
Classification: Business within India/ Total Business

(All amounts in Rupees of Lakhs)

Particulars	Policyholders A/C	Shareholders A/C	Total
Investments			
Investments Shareholder' SCH 8			
Policyholders' SCH 8A			
Total Investments as per BS ----- (A)			
Inadmissible investment assets as per Clause (1) of Schedule I --- ----- (B)			

Fixed assets			
Fixed assets as per BS ----- (C)			
Inadmissible Fixed assets as per Clause (1) of Schedule - I ----- ----- (D)			
Current Assets			
Cash & Bank Balances as per BS ----- (E)			
Advances and Other assets as per BS ----- (F)			
Total Current Assets as per BS ----- (G) = (E) + (F)			
Inadmissible Current assets as per Clause (1) of Schedule - I ----- ----- (H)			
Loans			
Loans as per BS ----- (I)			
Fair Value Change Account subject to minimum of zero----(J)			
Total Assets as per BS -----(K) = (A) + (C) + (G) + (I)(Excluding current liabilities and provisions)			
Total Inadmissible assets ----- (L) = (B) + (D) + (H) + (J)			
Total Admissible assets for Solvency ---- (K) - (L) (Excluding current liabilities and provisions)			

We certify that the statement has been prepared in accordance with **Schedule I**.

Name and Signature of Appointed Actuary

Name and Signature of Statutory Auditor

Name and Signature of Chief Executive Officer

Place

Date

NOTES

The statement shall show the value of the above-mentioned categories of assets in accordance with Clause (1) in Schedule I.

Schedule II

(See Regulation 5)

DETERMINATION OF AMOUNT OF LIABILITIES

1. DETERMINATION OF AMOUNT OF LIABILITIES

- (1) The amount of liabilities shall be determined on the Valuation Date separately for each line of business as listed in the FORM IRDAI-GI-SM and in accordance with this regulation
- (2) The amount of liabilities for each line of business shall be determined as the aggregate of Unexpired Risk Reserves as mentioned in clause 2 below and Claims Reserves as mentioned in clause 3 below.

2. PREMIUM RESERVES

(1) Unearned Premium Reserve (UPR):

UPR will be estimated as per the extant provisions and shall be certified by the Chief Financial Officer and the Statutory Auditor .

(2) Premium Deficiency Reserve (PDR):

The PDR shall be calculated using sound actuarial principles. Though the PDR shall be maintained at the insurer level, PDR on segmental basis would be monitored by the Authority for verifying the sustainability of products and accordingly an appropriate action may be taken by the Authority.

(3) Unexpired Risk Reserve (URR):

Unexpired Risk Reserve is defined as sum total of UPR and PDR

3. CLAIMS RESERVE

- (1) The Claims Reserve shall be determined as the aggregate amount of Outstanding Claims Reserve and Incurred but Not Reported Claims Reserve (IBNR) as described below for the following lines of business:

<u>ITEM NO.</u>	<u>LINE OF BUSINESS</u>
	MOTOR
1	Motor OD-Private car
2	Motor OD-Two Wheeler
3	Motor OD-Commercial Vehicle
4	Motor TP-Private car
5	Motor TP-Two Wheeler
6	Motor TP-Commercial Vehicle (Declined Pool)
7	Motor TP-commercial Vehicle (TP Pool)
8	Motor TP-commercial Vehicle (Other than Pool)
	HEALTH
9	Health Insurance - Individual
10	Health Insurance - Group-Government Schemes
11	Health Insurance - Group-Employer/Employee Schemes
12	Health Insurance - Group-Other Schemes
	PERSONAL ACCIDENT
13	Personal Accident - Individual
14	Personal Accident- Group(Government Schemes)
15	Personal Accident-Group(Others)
16	TRAVEL
17	FIRE
	MARINE
18	Marine Cargo
19	Marine-Other than Marine Cargo
	OTHER MISCELLANEOUS
20	Engineering
21	Aviation
22	Product Liability
23	Liability Insurance
24	Workmen Compensation/ Employer's Liability
25	Crop Insurance
26	Weather Insurance
27	Credit Insurance
28	Others

(2) Outstanding Claims Reserve

The outstanding claims reserve shall be determined in the following manner:

- Where the amount of outstanding claims of the insurers is known, the amount is to be provided in full;
- Where the amount of outstanding claims can be reasonably estimated according to the insurer, insurer shall follow the 'case by case method' after taking into account the explicit allowance for changes in the settlement pattern or average claim amounts, expenses and inflation;
- For lines of business, where the Appointed Actuary is of the view that the statistical method is most appropriate for the estimation of Outstanding claims, the Appointed Actuary may use the appropriate statistical method of claims reserving instead of following case by case method. In such cases, the claims outstanding reserve shall be certified by Appointed Actuary. Where the Appointed Actuary identifies

material changes in the claims handling practices, their impact on the outstanding claims reserve pattern shall be taken into account and reported.

(3) Incurred But Not Reported (IBNR) Claims Reserve

- (a) The incurred but not reported (IBNR) claims reserve shall be determined using actuarial principles and methods detailed in clause 4 below
- (b) The IBNR shall be estimated using appropriate actuarial principles and shall be certified by the Appointed Actuary.
- (c) The Appointed Actuary shall estimate IBNR on both net of reinsurance and gross of reinsurance basis.
- (d) The Appointed Actuary shall estimate the provision for IBNR for each year of occurrence and the figures shall be aggregated to arrive at the total amount to be provided.
- (e) If estimate of IBNR provision for any year of occurrence is negative, the Appointed Actuary shall re-examine the underlying assumptions. Even after re-examination, if the mathematics produces negative value, the Appointed Actuary shall ignore the IBNR provision for that year of occurrence.
- (f) The estimation process shall not discount the estimated future development of paid claims to the current date.

4. ACTUARIAL METHODS

- (1) The following Standard Actuarial Methods may be used for the estimation of IBNR reserves:
 - (a) Basic Chain Ladder Method (both on incurred and paid claims)
 - (b) Bornhuetter Ferguson Method (both on incurred and paid claims)
 - (c) Frequency – Severity Method
- (2) The Appointed Actuary shall use more than one method to arrive at an estimate that s/he believes is adequate to meet the future liabilities.
- (3) Appointed Actuary may use methods other than standard actuarial methods of IBNR estimation.
- (4) In his/her annual report submission to the Regulator, Appointed Actuary should provide an explanation of the rationale underlying the selection of a particular method over the other available methods along with the advantages and disadvantages of doing so.
- (5) Where the results of different methods or assumptions differ significantly, an Appointed Actuary must comment on the likely reasons for the differences and explain the basis for the choice of results.

5. APPLICABILITY TO REINSURANCE

- (1) This Schedule shall also apply to the valuation of general insurance business in the books of reinsurers.
- (2) As regards the business ceded by insurers, this Schedule shall be applicable to the net sums at risk retained by the insurer.

6. DETERMINATION OF OTHER LIABILITIES

The general insurer shall place a proper value in respect of the following items:

- (1) provision for bad and doubtful debts; reserve for dividends declared or recommended, and outstanding dividends in full;
- (2) amount due to insurance companies carrying on insurance business, in full;
- (3) amount due to sundry creditors, in full;
- (4) provision for taxation, in full; and
- (5) foreign exchange reserve

7. STATEMENT OF LIABILITIES

- (1) Every general insurer shall prepare a statement of liabilities in FORM IRDA-GI-TR certified by the Appointed Actuary and the Statutory Auditor in accordance with Section 64V of the Act.
- (2) The statement shall be furnished to the Authority along with the returns mentioned in section 15 of the Act.
- (3) The general insurer shall furnish any additional information in accordance with the directions issued by the Authority from time to time.

FORM IRDAI-GI-TR
Insurance Regulatory and Development Authority of India
(Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016

TABLE I
STATEMENT OF LIABILITIES: << Name of General Insurer>>
As at 31st March 20XX

Name of Insurer:
 Registration Number:
 Date of registration:
 Classification: Business within India/ Total Business

(All amounts in Rupees of Lakhs)

Reserve	Gross Reserve	Net Reserve
Unearned Premium Reserve (UPR) (a)		
Premium Deficiency Reserve (PDR)....(b)		
Unexpired Risk Reserve (URR)....(c)=(a) +(b)		
Outstanding Claim Reserve (other than IBNR reserve)....(d)		
IBNR Reserve.... (e)		
Total Reserves for Technical Liabilities(f)=(c)+(d)+(e)		

Certification

(1) Certification from Statutory Auditor:

I certify that the above statement represents the liabilities of the insurer which have been determined in the manner prescribed in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016 and amounts of such liabilities are fair and reasonable. I also further certify that the outstanding claims reserves that are estimated using statistical methods, PDR and IBNR reserves in the statement above have been determined by the Appointed Actuary and his certificate is furnished below.

Qualifications, if any (in regard to the determination of liabilities):

Place:

Date:

Name and Signature of the Statutory Auditor

(2) Certification from the Appointed Actuary:

I certify that, I have checked the data to the best of my ability and I am satisfied that the data is consistent, reliable and complete. **I also further certify that** the outstanding claims reserves that are estimated using statistical methods, PDR and IBNR reserves in the statement above have been determined using actuarial principles and in the manner prescribed in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016. These reserves, estimated as on the 31st day of March of(year of investigation) represent, in my opinion, a fair reflection of the expected future experience.

Qualifications, if any:

Name of the Insurer:

Place:

Date:

Name and Signature of the Appointed Actuary

(3) Certification by Principal officer:**I certify that**

- (a) Full and accurate particulars of every policy and claim have been furnished to the Appointed Actuary: <name of the actuary> for the purpose of the determination of Technical Reserves as on the 31st Day of March of 20XX.
- (b) The data provided to the Appointed Actuary reconciles with the Audited Financials as at 31st Day of March 20XX.
- (c) The Appointed Actuary has been made aware of all the information pertaining to underwriting, claims and reinsurance policies and practices followed by the Insurer

Qualifications, if any:

Name of the Insurer:

Place:

Date:

Name and Signature of the Principal Officer

(4) Certification from Chief Financial Officer :**I certify that**

The UPR has been determined as per the extant provisions of the Authority.

Qualifications, if any (in regard to the determination of UPR):

Name of the Insurer:

Place:

Date:

Name and Signature of the Chief Financial Officer

SCHEDULE III**DETERMINATION OF SOLVENCY MARGIN – GENERAL INSURANCE BUSINESS****(See Regulation 6)****1. Interpretation :** In this Schedule,

(1) “Available Solvency Margin (ASM)” shall be calculated as the excess of value of assets (as furnished in Form IRDAI-GI-TA) over the value of liabilities (as furnished in Form IRDAI-GI-TR) with further adjustments as shown in Table IB of FORM IRDAI-GI-SM.

(2) “Solvency Ratio” means the ratio of the amount of Available Solvency Margin to the amount of Required Solvency Margin as specified in Table IB

2. Every insurer at all time shall maintain its Available Solvency Margin at a level which is not less than higher of fifty per cent of the amount of minimum capital as stated under Section 6 of the Act and one hundred per cent of Required Solvency Margin failing which the Authority shall act in accordance with sub-section (2) of Section 64VA of the Act.

3. “Control level of Solvency” shall mean the level of solvency margin specified by the Authority in accordance with sub-section (3) of Section 64VA of the Act on the breach of which the Authority shall act in accordance with sub-section (4) of section 64VA of the Act without prejudice to taking any other remedial measures as deemed fit. The control level of solvency is hereby specified as a minimum solvency ratio of 150 %.

4. Determination of Required Solvency Margin (RSM): Every general insurer shall determine the Required Solvency Margin, the Available Solvency Margin, and the Solvency Ratio in FORM IRDAI-GI-SM.

FORM IRDAI-GI-SM
Insurance Regulatory and Development Authority of India
(Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016

TABLE I
STATEMENT OF SOLVENCY MARGIN: << Name of General Insurer>>
As at 31st March 20XX

Name of Insurer:
Registration Number:
Date of registration:
Classification: Business within India / Total Business

TABLE IA: REQUIRED SOLVENCY MARGIN BASED ON NET PREMIUM AND NET INCURRED CLAIMS
(All amounts in Rupees of Lakhs)

Item No.	Line of Business	Gross Premiums	Net Premiums	Gross Incurred claims	Net Incurred claims	RSM1	RSM2	RSM	Factor A	Factor B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	Fire								0.5	0.5
02	Marine Cargo								0.6	0.6
03	Marine – Other than Marine Cargo								0.5	0.5
04	Motor								0.75	0.75
05	Engineering								0.5	0.5
06	Aviation								0.5	0.5
07	Liability								0.75	0.75
08	Health								0.75	0.75
09	Miscellaneous								0.7	0.7
	Total									

NOTES:

(3) = Gross Written Premium including Inward Reinsurance

(4) = Net Written Premium

(5) = Gross Incurred Claims including impact of Gross IBNR

(6) = Net Incurred Claims including impact of Net IBNR

(3) and (4) are calculated as 'Trailing 12 Months Data'

(5) and (6) are calculated as Maximum of 'Trailing 12 Months Data' and 'Trailing 36 Months Data divided by 3'

(7) RSM 1 in the above table means Required Solvency Margin based on net premiums, and shall be determined as **Twenty Percent (20%)** of the amount which is the higher of the Gross Premiums multiplied by a Factor A as specified in the Table IA and the Net Premiums.

(8) RSM 2 in the above table means Required Solvency Margin based on net incurred claims and shall be determined as **Thirty Percent (30%)** of the amount which is the higher of the Gross Incurred Claims multiplied by a Factor B as specified in the Table above and the Net Incurred Claims.

(9) RSM means Required Solvency Margin and shall be the higher of the amounts of RSM 1 and RSM 2 for each LOB separately.

TABLE IB: AVAILABLE SOLVENCY MARGIN AND SOLVENCY RATIO

Name of Insurer:
 Registration Number:
 Date of registration:
 Classification: Business within India / Total Business

(All amounts in Rupees of Lakhs)

(1)	(2)	(3)
ITEM NO.	DESCRIPTION	AMOUNT
(A)	Policyholder's FUNDS	
	Available assets(as per Form IRDAI-GI-TA)	
	Deduct:	
(B)	Current Liabilities as per BS	
(C)	Provisions as per BS	
(D)	Other Liabilities	
(E)	Excess in Policyholder's funds (A)-(B)-(C)-(D)	
	Shareholder's FUNDS	
(F)	Available Assets	
	Deduct:	
(G)	Other Liabilities	
(H)	Excess in Shareholder's funds (F-G)	
(I)	Total ASM (E+H)	
(J)	Total RSM	
(K)	SOLVENCY RATIO (Total ASM/ Total RSM)	

Certification:

I _____, the Statutory Auditor, hereby certify that the above statements have been prepared in accordance with the Section 64VA of the Insurance Act, 1938, and the amounts mentioned therein are true to the best of my knowledge.

Place

Date:

Name and Signature of the Statutory Auditor

Counter signature by

Principal Officer:

Appointed Actuary

Chief Financial Officer

NOTES:

- Item A shall be the amount of the Adjusted Value of Assets in respect of policyholders' funds as mentioned in FORM IRDAI-GI-TA.
- Item B shall be the amount of Total Liabilities as mentioned in FORM IRDAI-GI-TR.
- Item C shall be the amount of other liabilities arising in respect of policyholders' funds and as mentioned in the Balance Sheet
- Item F shall be the amount of the Total Assets in respect of shareholders' funds as mentioned in FORM IRDAI-GI-TA.
- Item G shall be the amount of other liabilities arising in respect of shareholders' funds and as mentioned in the Balance Sheet

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty./69(161)]